

पाठ - 6

الدرس السادس - هندي

कलिमए तौहीद की शर्तें (1)

شروط لا إله إلا الله

कलिमए तौहीद “लाइलाह इल्लल्लाह की सात शर्तें हैं। जब सभी शर्तें पूरी होंगी, इंसान उन शर्तों की पाबन्दी करेगा और उनमें से किसी भी शर्त का इनकार नहीं करेगा, उसी स्थिति में इस कलिमा का स्वीकार सही होगा। शर्तें ये हैं।

1. **इल्म (ज्ञान)** नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अर्थों में और कलिमा पढ़ने के बाद जो कर्म अनिवार्य हो जाते हैं, उन सभी की जानकारी ज़रूरी है। जब एक इंसान को मालूम होगा कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है और उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत ग़लत है तो मानो वह इस कलिमे के सही अर्थ को समझ गया। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

यानी, आप जान लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। (सूरह मुहम्मद, आयत-19)

हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो कोई इस हाल में मरता है कि उसे इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वह जन्नत में दाखिल होगा। (सही मुस्लिम-26)

2. **यकीन (विश्वास)** कलिमा को इस यकीन के साथ पढ़ा जाए कि उसपर पढ़ने वाले का दिल संतुष्ट और आस्वस्त हो, उसमें शक व सन्देह न हो, बल्कि इसे इंसान पूरे यकीन और विश्वास के साथ इसके सम्पूर्ण भाव के साथ, पढ़े। अल्लाह फ़रमाता है :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾

उसके रसूल पर ईमान लाएं फिर शक व संदेह में न पड़ें। हज़रत अबू हु़रैरह रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जो कोई ऐसा इंसान अल्लाह से मिलेगा जिसे उन दोनों मामलों में शक नहीं होगा तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा (सही मुस्लिम 27)

3. **स्वीकार करना**, इंसान इस कलिमा के सभी तकाज़ों को अपने दिल और जुबान से स्वीकार करे। कुरआनी धारणों की तसदीक़ करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को लाए हैं, उन सभी पर ईमान लाए, उन सभी चीज़ों को स्वीकार करे और उनमें से किसी चीज़ का इन्कार न करे। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

अर्थात : रसूल ईमान लाये उस चीज़ पर जो उनकी तरफ अल्लाह की ओर से अवतरित हुई और मोमिन भी ईमान लाएं अल्लाह पर, और उसके फ़रिशतों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर और उसके रसूलों में से किसी में विभेद नहीं करते और उन्हीं ने कहा कि हमने सुना और आज्ञा पालन की ऐ हमारे रब हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हमको आपही की तरफ पलट कर आना है। (सूरह अलबकरा, आयत 285)

जो लोग इस्लामी आदेशों और इसके कानून पर आपत्ति जनाते हैं, या उनका खंडन करते हैं, ये चीज़ें भी स्वीकार न करने के समान हैं, जैसा कि कुछ लोग चोरी या बलात्कार की सज़ा पर आपत्ति जनाते हैं, या एक से अधिक शादी करने के आदेशों पर उन्हें आपत्ति है और इसे नकारते रहते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है: अर्थात : और देखो किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूलके फ़ैसले के बाद अपनी किसी बात का कोई अख़्तियार बाकी नहीं रहता।